

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
—:: अधिसूचना ::—

पटना, दिनांक— ०२/०४/२०२१

पत्रांक—०३ / परि० (योजना)—१४—१४ / २०१८ (पार्ट—I) ७६।३ परिवहन विभाग की अधिसूचना सं०—५७३२, दिनांक—०५.०९.२०१८ द्वारा अधिसूचित तथा अधिसूचना सं०—६४८० दिनांक—०९.०९.२०२० द्वारा यथा संशोधित मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित थी। इस योजना के तहत राज्य के सभी पंचायतों में विधिवत चयनित ७ लाभुकों को अनुमान्य वाहन की खरीद पर, खरीद मूल्य का ५०% अथवा अधिकतम १.०० (एक) लाख रूपए का अनुदान का प्रावधान है।

२. उक्त योजना के अंतर्गत ही अधिसूचना सं०—६२९७, दिनांक—०८.०८.२०१९ के द्वारा लाभुकों को ई—रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का ५०% अथवा अधिकतम ७०,०००/- (सत्तर हजार) रु० अनुदान का प्रावधान है।

३. कोविड—१९ के समय संक्रमित व्यक्तियों के ईलाज हेतु उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों तक समुचित परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिसूचना सं०—२७४०, दिनांक—११.०५.२०२१ द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत प्रति प्रखंड अधिकतम ०२ लाभुकों को एम्बुलेंस के क्रय पर क्रय मूल का ५०% परन्तु अधिकतम २.०० लाख (दो लाख) रूपये अनुदान का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

४. उक्त योजना के अंतर्गत सामान्य वाहन/ई—रिक्शा/एम्बुलेंस क्रय हेतु निर्धारित लक्ष्य ५७५५१ के विरुद्ध ४५००० लक्ष्य की प्राप्ति हुई है तथा लाभुकों को अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। स्वीकृत शेष राशि से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।

५. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत शेष १२५०० लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना की अवधि वित्तीय वर्ष २०२५—२६ तक विस्तारित करने एवं शेष लक्ष्य की प्राप्ति पूर्व से स्वीकृत इस योजना की राशि से ही किए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक—०६.०८.२०२४ को हुयी बैठक में मद संख्या—३७ पर दी गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*6/24
७/८*
(संजय कुमार अग्रवाल),
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-03 / परिरो (योजना)-14-14 / 2018 (पार्ट-I) ^{१६५} पटना, दिनांक- ०५/०८/२०२४

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लाल
८/८
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: १६५

पटना, दिनांक- ०५/०८/२०२४

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

लाल
८/८
सरकार के सचिव।